# खालिस्तानियों के हौसले बुलंद, अब गुरुद्वारे की दीवार पर लिखे भारत विरोधी नारे

वैंकूवर

कनाडा में खालिस्तानियों को हौसले बुलंद हैं। यहां वैंकूवर में एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी नारे लिख दिए। खालिस्तानियों की इस हरकत के बाद गुरुद्वारे के प्रवक्ता ने कहा कि अलगाववादी सिखों के एक गुट ने हमारे पवित्र गुरुद्वारे की दीवारों को दूषित किया है और उनपर खालिस्तानी नारे लिख दिए हैं।

गुरुद्वारे की तरफ से कहा गया कि यह खालसा साजणा दिवस के मौके पर हम एकता की कसम खाते हैं। एक समूह द्वारा किया गया यह कृत्य निंदनीय है। कट्टरपंथी ताकतें सिखों को बांटना चाहती हैं और यह खौफ पैदा करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी हमारे बुजुर्गों के बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने विविधता और स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है। हम उनकी फूट डालने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे।

बता दें कि यह गुरुद्वारा 1906 में बनाया गया था। गुरुद्वारे में नगर कीर्तन और बैसाखी परेड का आयोनज किया गया था। इन कार्यक्रमों में खालिस्तान समर्थकों को शामिल होने से रोक दिया गया था। खालिस्तानियों ने गुरुद्वारे के अलावा सूरी और ब्रिटिश कोलंबिया में मंदिरों को भी टारगेट किया है। यहां भी दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखे गए हैं।

मंदिर के प्रवक्ता ने कहा कि कनाडा में हिंदुओं और सिखों में एकता बनाए रखने के लिए लक्ष्मीनारायण मंदिर बढ़-चढ़कर काम करता है। इसीलिए मंदिर को भी निशाना बनाया गया है। यह संयोग नहीं है बल्कि नियोजित तरीके से ये नारे लिखे गए हैं। बीते साल दिसंबर में रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे में करीब हिंदुओं और सिख समुदाय के 60 लोग एकत्रित हुए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि फूट डालने वालों की साजिश को नाकाम किया जाएगा।

## न्यूज ब्रीफ

### कुलभूषण ऊंची अदालत में अपील नहीं कर सकेंगे, जासूसी के आरोप में जाधव 9 साल से जेल में बंद

**इस्लामाबाद ।** पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक नागरिक कुलभूषण जाधव को ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह जानकारी पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी। दरअसल पाक सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के समर्थकों की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार मिला था और अगर मिला था तो पाकिस्तान नागरिकों को यह अधिकार क्यों नहीं इस पर रक्षा मंत्रालय के वकील ने कहा कि जाधव को अपील का कोई अधिकार नहीं मिला था। जाधव को 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के बाद सिर्फ कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया था। कॉन्सुलर एक्सेस का प्रावधान होने पर आरोपी को हाई कमीशन के जरिए मदद मिलती है।

### व्हाइट हाउस से लगा हुआ बंगला खरीदा जकरबर्ग ने...

**वाशिंगटन।** फेसबुक और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने व्हाइट हाउस के पास वाशिंगटन डीसी में एक बंगला खरीदा है। इस बंगले की कीमत 151 करोड रुपए है ।वाशिंगटन शहर का यह तीसरा सबसे महंगा बंगला है। यह बंगला व्हाइट हाउस से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर स्थित है। यह बंगला 15000 स्कायर फीट पर बना हुआ है। इस बंगले की तीन इमारतें हैं। इसमें स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। घर के बाहरी दीवार लाल ईंटों से बनी हुई है। सुरक्षा के लिए आवास के चारों ओर 12 फीट ऊंची लोहे की बाउंड्री और ऊंचे गेट लगे हुए हैं ।व्हाइट हाउस से नजदीक होने के कारण इस बंगले की कीमत बढ़ जाती है। बंगला भी आलीशान तरीके से तैयार किया गया है।

### विमान कर रहा था लैंडिंग टूट गया पहिया, यात्रियों में मचा हड़कंप, एक यात्री ने फेसबुक पर लिखा-ऐसा लगा अब हमारी कहानी खत्म

**वाशिंगटन।** अमेरिकी विमान कंपनी फ्रंटियर एयरलाइंस के विमान का एक पहिया टूट गया। विमान ने फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको के सैन जुआन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन लैंडिंग के समय इसके फ्रंट लैंडिंग गियर में गड़बड़ी आ गई। वायरल वीडियो में विमान की खिड़की के बाहर धुआं निकलता नजर आ रहा है, जबकि विमान के अंदर से यात्रियों के रोने की आवाज आ रही हैं। एक पैसेंजर ने इस हादसे के बारे में फेसबुक पर लिखा- कुछ मिनटों के लिए लगा कि अब हमारी कहानी खत्म हो गई है। हकीकत तो यह है कि अनुभवहीन लोग विमान को उड़ा रहे थे ।फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के 228 यात्रियों को ले जा रहे एयरबस ए321 की लैंडिंग के दौरान फ्रंट लैंडिंग गियर का एक पहिया टूट गया। इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और विमान को बस से टर्मिनल तक पहुंचाया। फ्रंटियर एयरलाइंस ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर गया, किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई। घटना की जांच की जा रही है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है।

# अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास घेरा

**सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा- ट्रम्प को अल सल्वाडोर जेल भेजें**

वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सडक़ों पर उतर आए। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुए। प्रदर्शनकारी ट्रम्प की टैरिफ वॉर की नीतियों, सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रम्प पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया। इस आंदोलन को 50501 नाम दिया गया है, जिसका मतलब 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य, 1 आंदोलन है।

प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के अलावा टेस्ला के शोरूमों का भी घेराव किया। ट्रम्प के खिलाफ प्रदर्शनों का यह दूसरा दौर है। इससे पहले 5 अप्रैल को ट्रम्प के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे।

**ट्रम्प और मस्क की नीतियों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन** – राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत सभी राज्यों में प्रदर्शन की बड़ी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और कारोबारी इलॉन मस्क की आक्रामक नीतियां हैं। इलॉन मस्क का दक्षता विभाग लगातार सरकारी विभागों में छंटनी कर रहा है। अब तक हजारों सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प की अप्रवासियों पर कार्रवाई और दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की सख्त पॉलिसी भी इन प्रदर्शनों की एक बड़ी वजह है। ट्रम्प के टैरिफ वॉर से अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाली चीजों के दाम बढ़े हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है।

**ट्रम्प के काम से खुश हैं 45 प्रतिशत वोटर्स** – अमेरिकी सर्वे एजेंसी गैलप के मुताबिक 45 प्रतिशत अमेरिकी वोटर्स ट्रम्प के पहले 3 महीने के कामकाज से खुश हैं, जबकि ट्रम्प के पहले कार्यकाल के शुरुआती 3 महीनों में 41 प्रतिशत वोटर्स ही उनके कामकाज से संतुष्ट थे।

### बांग्लादेश ने इंटरपोल से हसीना के खिलाफ रेड-कॉर्नर नोटिस मांगा, 9 महीने से भारत में रह रहीं पूर्व पीएम

**ढाका।** बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की है। हसीना के अलावा 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी ऐसी ही मांग की गई है। शेख हसीना पिछले साल अगस्त में हुए तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना, उनके पूर्व मंत्रियों, सलाहकारों और अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इन पर मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप थे। इंटरपोल का रेड नोटिस किसी व्यक्ति को ढूंढने और उसे प्रत्यर्पण या कानूनी कार्रवाई से पहले अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने में मदद करता है।

# रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की यूक्रेन में ईस्टर युद्धविराम की घोषणा

मास्को

**रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईसाइयों के त्योहार ईस्टर की वजह से यूक्रेन युद्ध में सीजफायर का ऐलान किया। यह युद्धविराम शुरू होकर चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने रूसी चीफ ऑफ स्टाफ वालेरी से कहा कि रूस ईस्टर युद्धविराम की घोषणा करता है।**

रूस ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पेरिस विजिट के दौरान जंग खत्म करने को लेकर शांति प्रस्ताव पेश किया था। अमेरिका का कहना था कि इस प्रस्ताव की सभी पक्षों ने तारीफ की है। बता दें कि ईस्टर ईसाइयों का अहम धार्मिक पर्व है। ईसाई धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन यीशु फिर से जीवित हो गए थे। ईसाई इसे ईस्टर दिवस या ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। ये दिन गुड फ्राइडे के दो दिन बाद आता है।

### राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी का करेंगे दौरा

**वॉशिंगटन ।** कांग्रेस लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। वे स्थानीय समयानुसार बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। इस दौरे पर राहुल गांधी रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, जहां वे फैकल्टी और छात्रों से संवाद करेंगे। इसके अलावा राहुल प्रवासी भारतीय समुदाय, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात कर सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के इस दौरे की जानकारी ङ्क पर दी थी। इसमें बताया गया था कि राहुल का यह दौरा 21 और 22 अप्रैल को रहेगा। राहुल ने इससे पहले सितंबर 2024 में 3 दिन का अमेरिका का दौरा किया था।

### माउंट फूजी में आतिशबाजी शो

जापान के माउंट फूजी में आतिशबाजी शो को देखते हुए लोग।

# गाजा पर हमलों के बीच नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा-हमें शर्मिंदा मत कीजिए

तेल अवीव

गाजा पर हमास और इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर फिर ठन गई है। इजराइल ने हमास पर शर्तों को न मानने का आरोप लगाते हुए गाजावासियों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दो दिन में 92 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो चुकी है। जिसमें महिलाएं और बच्चों की तादाद ज्यादा है। गाजा पर भारी बमवर्षा के बीच इजराइल ने अमेरिकी से अनुरोध करते हुए कहा कि हमें दुनिया के सामने शर्मिंदा मत कीजिए।

मामला 7 अक्टूबर 2023 को इजराइली जमीन पर हमास के हमले से जुड़ा है, हमास के उस हमले में कम से कम 1200 लोग मारे गए थे, जिसके जवाब में इजराइल गाजा में 51 हजार से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इजराइल के कानून प्रवर्तन विभाग ने अमेरिकी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे 7 अक्टूबर 2023 के हमले में शामिल हमास पर इजराल से पहले आरोप-पत्र दायर न करें, क्योंकि इससे यहूदी राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।

अमेरिकी एजेंसियां इस हमले की अपनी जांच को अंतिम चरण में ले आई हैं और वहां की कानूनी प्रणाली के चलते आरोप दायर करना आसान है।

यही कारण है कि अमेरिका जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर सकता है, जो इज़राइल के लिए कूटनीतिक संकट का कारण बन सकता है।

मीडिया के मुताबिक किबुत्ज़ नीर ओज़ में हुए नरसंहार में शामिल 22 आतंकियों के खिलाफ इज़राइली अभियोजन पक्ष ने चार्जशीट तैयार कर ली है।

हालांकि इसे अभी दायर नहीं किया है, क्योंकि सरकार की योजना है कि सैकड़ों आरोपियों पर एक साथ मेगा-ट्रायल चलाया जाए जो कि इजराइल के इतिहास में अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा मामला होगा।

रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास इस हमले में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल 300 फिलिस्तीनी कैदी हैं। ये सभी संभावित बंधक सौदों में रिहा नहीं किए जाएंगे। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन्होंने हमले में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन गाज़ा में बंधकों को कैद करने में शामिल रहे हैं।

अभी यह तय नहीं है कि इन पर एक ही ट्रायल में मुकदमा चलेगा या नहीं। यह पूरा मामला कानूनी रूप से बेहद जटिल है। आईडीएफ की मिलिट्री इंटेलिजेंस मिलकर इस जांच में सहयोग कर रहे हैं। अब तक 1700 पीड़ितों और 400 सुरक्षा अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं।

# ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया मे प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया की संसद ने दिसंबर 2024 में ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल 10 दिसंबर 2025 के बाद से यह एक्ट प्रभाव में आ जाएगा। इसके बाद 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का उपयोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर पाएंगे।

बच्चों के लिए टिकटोक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट,फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लग जाएगा ।सोशल मीडिया की कंपनियों को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लेटफार्म से हटाना पड़ेगा। 16 वर्ष से कम उम्र का यदि एक भी बच्चा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म का उपयोग करता हुआ पाया गया। ऐसी स्थिति में 3 ।1 करोड डॉलर जो भारतीय मुद्रा में लगभग 275 करोड रुपए होते हैं। सोशल मीडिया कंपनी को यह जुर्माना अदा करना होगा।

सारी दुनिया के देशों में छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए बड़े प्रयास किया जा रहे हैं। बच्चे खेल के मैदान से गायब हो गए हैं ।अपनी उम्र के बच्चों के साथ उनका बोलना खेलना कूदना सब बंद हो गया है। बच्चों को वास्तविक पारिवारिक और सामाजिक ज्ञान नहीं मिल रहा है। खेलकूद नहीं होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य में भी विपरीत असर देखने को मिल रहा है। जिसके कारण दुनिया भर में चिंता देखी जा रही है।

अमेरिका मे 13 वर्षीय कम उम्र के बच्चों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। इन्हें सोशल मीडिया से दूर करने की पहले शुरू की गई है।

ब्रिटेन में 2023 के पारित कानून के अनुसार सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री की पहचान कर प्लेटफार्म से हटाने की जवाब देही सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार ने डाली है।

फ्रांस में 2023 में पारित कानून के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के पहले माता-पिता की सहमति सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जरूरी की गई है।

जर्मनी में 16 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए अपने माता-पिता की अनुमति को अनिवार्य किया गया है।

नार्वे में सरकार ने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर आयु सीमा 13 वर्ष से बढाकर 15 वर्ष कर दी है।

चीन के साइबर स्पेस प्रशासन ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग को मात्र 2 घंटे सीमित करने का प्रस्ताव दिया है।

भारत में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में सोशल मीडिया पर बच्चों की उपस्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास का प्रस्ताव है। अभी यह कानून संसद में पास नहीं हुआ है ।संसद में कानून पास होने के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया में अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। इस कानून का पालन सोशल मीडिया कंपनी कठोरता से करें। इसके लिए 250 करोड रुपए जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। भारत में अभी इस तरह का कानून बना नहीं है। हो सकता है, सरकार अगले सत्र में इसे लेकर आए।